POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.11.2022

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक 10.11.2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त 1.जुबैर पुत्र महरबान निवासी मो0 मेवातियान, पीपल वाली मस्जिद के पास, कटहैरा रोड, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर 2.जफरू पुत्र वहीद निवासी ग्राम सलारपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी फैज ए आम मदरसा के पास, नई आबादी, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के आर वी नार्थ लैण्ड तिराहे पर अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बिना नम्बर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मोटरसाइकिल का सही नम्बर ज्ञात करने पर उक्त मोटरसाइकिल नं0 यूपी 14 डीडी 2856 होना पाया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 659/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तो का विवरणः

1.जुबैर पुत्र महरबान निवासी मो0 मेवातियान, पीपल वाली मस्जिद के पास, कटहैरा रोड, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2.जफरू पुत्र वहीद निवासी ग्राम सलारपुर, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी फैज ए आम मदरसा के पास, नई आबादी, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 546/2022 धारा 414 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट

2-थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा दुकान का शटर तोडकर चोरी करने वाले दो चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 14 मोबाइल फोन, 28 वायर ईअर फोन, 02 डाटा केबल, लीड आदि सामान, घटना में प्रयुक्त सब्बल व दो अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 10.11.2022 की रात्रि को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा दुकान का शटर तोडकर चोरी करने वाले दो चोर 1.विशाल पुत्र हीरालाल निवासी बालगिरी मंदिर के पास, सेक्टर-45, सदरपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा 2.सोहेल पुत्र साबिर निवासी पानी के प्लांट के पास, सेक्टर-45, सदरपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा को थाना क्षेत्र के सेक्टर-90 टी प्वाइंट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 14 मोबाइल फोन, 28 वायर ईअर फोन, 02 डाटा केबल, लीड आदि सामान, घटना में प्रयुक्त सब्बल व दो अवैध चाकू बरामद हुए है।

अभियुक्त शातिर किस्म के चोर है जिनके द्वारा दिनांक- 09/10.11.2022 की रात्रि को याकूबपुर मार्केट से ए.एस कम्युनिकेशन मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से लोहे के सब्बल से दुकान का शटर तोडकर चोरी की गई थी।

अभियुक्तों का विवरणः

1.विशाल पुत्र हीरालाल निवासी बालगिरी मंदिर के पास, सेक्टर-45, सदरपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

2.सोहेल पुत्र साबिर निवासी पानी के प्लांट के पास, सेक्टर-45, सदरपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0-480/2022 धारा 380/457/411 भादवि बनाम विशाल व सोहेल थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0-481/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विशाल थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0-482/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सोहेल थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0-941/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम विशाल थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0-942/2017 धारा 414 भादवि बनाम विशाल थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0-1656/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विशाल थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद।

7.मु0अ0सं0-816/2020 धारा 380/411/457 भादवि बनाम सोहेल थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0-642/2021 धारा 380/411 भादवि बनाम सोहेल थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.14 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के

2.28 वायर ईअर फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के

3.02 डाटा केबल

4.लीड आदि सामान

5.घटना में प्रयुक्त सब्बल

6.दो अवैध चाकू

3-थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा वांछित एवं आम्रपाली जोडियक सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज को जान से मारने की नियत से गाड़ी से टक्कर मारकर घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.11.2022 को थाना सेक्टर-113 की पुलिस टीम मु0अ0सं0 323 /22 धारा 323, 504, 506, 376 377 भादवि के आरोपी नीरज कुमार पुत्र टीएन सिंह निवासी फ्लैट नंबर-08, अम्रपाली जोडियक सोसायटी, सेक्टर-120, थाना सेक्टर-113 की तलाश में सोसाइटी के अंदर थी तभी पुलिस को देखकर आरोपी अपनी गाड़ी को लेकर तेज गति से गेट की तरफ भागा जिसपर गाड़ी को सिक्योरिटी इंचार्ज अशोक मावी पुत्र सतवीर सिंह निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर के द्वारा हाथ से इशारा कर रुकवाने का प्रयास किया गया तभी आरोपी ने सिक्योरिटी इंचार्ज अशोक मावी के ऊपर जान से मारने की नियत से गाडी चढ़ा दी जिससे अशोक मावी नीचे गिर गए और सिक्योरिटी इंचार्ज जैसे ही खड़े हुए आरोपी नीरज सिंह ने जान से मारने के लिए दोबारा गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया जिससे सिक्योरिटी इंचार्ज अशोक मावी बाल-बाल बचे तथा मौके पर अन्य गार्ड भी आ गए। आरोपी नीरज सिंह भागने में सफल हो गया था। दिनांक 09.11.2022 को पीड़ित सिक्योरिटी इंचार्ज अशोक मावी की तहरीर पर थाना सेक्टर-113 पर मु0अ0सं0 443/22 धारा 279/338/427 भादवि पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान अभियुक्त नीरज सिंह का अपराध धारा 307/427 भादवि का पाया गया था। दिनांक 10/11/2022 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र टीएन सिंह निवासी फ्लैट नंबर-08, अम्रपाली जोडियक सोसायटी, सेक्टर-120, थाना सेक्टर-113, नोएडा को उसके कार्यस्थान (इंडिगो एयरबेस में एचआर मैनेजर) गुरूग्राम से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

नीरज कुमार पुत्र टीएन सिंह निवासी फ्लैट नंबर-08, अम्रपाली जोडियक सोसायटी, सेक्टर-120, थाना सेक्टर-113, नोएडा।

अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 323 /22 धारा 323, 504, 506, 376 377 भादवि थाना सेक्टर-113, नोएडा।

2.मु0अ0सं0 443/22 धारा 307/427 भादवि थाना सेक्टर-113, नोएडा।